

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2131/2010/सवाईमाधोपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज, गंगापुरसिटी.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06/02/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 68/उपा-अपील्स/2006-07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 61 व 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 6.7.2009 को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.2.2009 को प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण भागीदार फर्म श्री केदार प्रसाद पुत्र श्री राधेश्याम व दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया। व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध माल की फर्द तैयार की जाकर लेखा-पुस्तकों से सत्यापन किये जाने पर मौके पर 7.17 किवंटल सरसों तेल घोषित स्टॉक से कम पाया गया। इसी प्रकार व्यवसाय स्थल पर 51.85 किवंटल सरसों सीड व 72 किवंटल खल घोषित स्टॉक से अधिक पायी गयी। इस बाबत वेट अधिनियम की धारा 61 व 75(8) के तहत जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सरसों तेल की अपवंचित बिक्री मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1338/- एवं धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति रूपये

लगातार.....2

2676/- आरोपित की गयी तथा अधिक पाये गये सरसों सीड व खल की अनुमानित कीमत रूपये 1,97,512/- पर धारा 75(8) के तहत कर की 5 गुण शास्ति रूपये 39,502/- सहित कुल रूपये 43,516/- का आरोपण आदेश दिनांक 6.7.2009 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2010 से स्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किये जाने पर सरसों तेल का स्टॉक कम पाया गया था। टैंकर में रखे तेल का माप मापक छड़ से ही किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने तेल में गाद को भी विचारित करने के उपरान्त तेल स्टॉक में कम पाये जाने पर धारा 61 के तहत कर व शास्ति विधिसम्मत आरोपित की गई थी। जहां तक सरसों ऑयल सीड व खल के अधिक स्टॉक का प्रश्न है, प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सर्वेक्षण के समय कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये थे। केवल गंगापुर व्यापार मंडल के प्रमाण-पत्र के आधार पर माल का प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर आना नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने ऐसे प्रमाण-पत्र के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 75 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त करना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। दो व्यवहारियों के बीच के संव्यवहार को बिलों से ही माना जा सकता है।

इन आधारों पर अपील स्वीकार करने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि सर्वेक्षण के समय भौतिक रूप से ऑयल का सत्यापन नहीं किया गया था। टैंकर्स में पाये गये तेल के गाद के बिन्दु पर विचार ही नहीं किया गया था। तेल का भौतिक रूप से वजन नहीं किया गया था, इसलिए ऐसे अनुमान के आधार पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :—

लगातार.....3

- (i) (2007) 18 टैक्स अपडेट 240 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा बनाम मैसर्स लीलाराम गोविन्दराम
- (ii) (2003) 5 टैक्स अपडेट 43 (राजस्थान कर बोर्ड) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स पायोटेक लाइटिंग एण्ड स्विच गियर्स
- (iii) (2009) 23 टैक्स अपडेट 122 (राजस्थान कर बोर्ड) मैसर्स तिरुपति आभूषण भण्डार बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, तृतीय, वृत्त—एच, जयपुर

अग्रिम कथन किया कि सरसों का स्टॉक अधिक पाया जाना भी तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है। सर्वेक्षण के समय कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 9.2.2009 के अंतिम स्टॉक पर स्टॉक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये थे, जबकि सर्वेक्षण दिनांक 10.2.2009 को किया गया था। दिनांक 10.2.2009 के प्रारम्भिक स्टॉक के बाद 51.85 विवंटल सरसों के इन्द्राज पर गौर ही नहीं किया गया। इस तथ्य को अपीलीय अधिकारी ने भी स्वीकार किया है।

अग्रिम कथन किया कि खल के भौतिक सत्यापन में छूक होने के कारण खल अधिक होना बताया गया है। खाली बारदाने की धाग को भी खल की बोरी मानकर बिना वजन किये स्टॉक मान लिया गया है तथा शास्ति आरोपित की गई है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है।

इन आधारों पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 10.2.2009 को 11.15 बजे किया गया था तथा उपस्थित भागीदार फर्म श्री केदार प्रसाद पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम के बयान कलमबद्ध किये गये थे। स्टॉक रजिस्टर की अंतिम प्रविष्टियां दिनांक 9.2.2009 पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। भौतिक रूप से उपलब्ध माल का सत्यापन दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया था। व्यवहारी के भौतिक रूप से उपलब्ध माल का सत्यापन चालू वर्ष की बहियात से करवाने हेतु वेट अधिनियम की धारा 75(1) के तहत सम्मन जारी किया गया, लेकिन व्यवहारी ने दिनांक 3.6.2009 को लेखों से आंशिक जांच करवाई। पुनः लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 10.2.2009 को भौतिक रूप

से माल का गणन दिनांक 26.6.2009 को किये जाने पर सरसों तेल 7.17 किवंटल कम पाया गया। सरसों सीड व खल क्रमशः 51.85 व 72.01 किवंटल अधिक पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 व 75(8) के तहत नोटिस जारी कर पेशी दिनांक 6.7.2009 रखी गई। जिस पर व्यवहारी द्वारा जवाब पेश कर कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया। तेल भौतिक रूप से कम होने के कारण तेल का तौल नहीं किया जाना व टंकियों में गाद उपलब्ध होना बताया। सरसों अधिक होने का कारण दिनांक 10.2.2009 (सर्वे दिन) को ही सर्वेक्षण से पूर्व 61 बोरी सरसों खरीद करना व स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज नहीं करना बताया था। व्यवहारी के जवाब को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 61 व 75(8) के तहत अपवंचित बिक्री रूपये 33,700/- पर 4 प्रतिशत से कर रूपये 1338/- तथा शास्ति रूपये 2676/- तथा धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 39,502/- आरोपित कर कुल मांग रूपये 43,516/- सृजित की।

अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी के उत्तर को समुचित मानते हुए आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी ने माल के भौतिक रूप से तौल नहीं किये जाने को आधार माना। अधिक पाये गये सरसों का सर्वे दिन की खरीद को स्वीकार किया।

अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। सर्वेक्षण के समय स्टॉक रजिस्टर में अंकित इंद्राज दिनांक 9.2.2009 तक किया जाना पाया गया था। सर्वेक्षण सुबह 11.15 बजे तक किया गया था, जिससे पूर्व खरीद का माल प्राप्त होने का साक्ष्य भागीदार फर्म द्वारा बयान में दिया जा सकता था। भौतिक सत्यापन दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किये जाने की स्थिति में तथा बोरियों पर तौल की भरती अंकित होने की स्थिति में वजन को विवादित नहीं किया जा सकता है। तेल की टंकियों में उपलब्ध तेल का माप मापछड़ी से ही किया जाता है। बाहर निकाल कर तौला नहीं जाता है। भौतिक रूप से तेल वक्त सर्वे कम पाया गया। गाद को भी तेल में शामिल कर लिया गया है, इसलिए गाद के कारण तेल कम होने का तर्क सारहीन है। खल की कमी का कारण अपीलीय स्तर पर खाली बारदाने को खल की बोरियों के रूप में मानने का बताया गया है। यह कारण तथ्यों से परे है, जबकि दो गवाहों के रुबरु भौतिक गणना की गई है।




लगातार.....5


विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का एक तर्क यह भी रहा है कि अधिनियम की धारा 61 के तहत करारोपण नहीं किया जा सकता। यह तर्क विधिक प्रावधानों के अनुसार उचित प्रतीत होता है। धारा 61 के तहत वेट अधिनियम के तहत संदेय (Payable) कर के अलावा शास्ति आरोपण का प्रावधान है। करापवंचन के प्रकरण में कर का निर्धारण अधिनियम की धारा 25 के तहत किया जा सकता है जो नहीं किया गया है, इसलिए अपवंचित बिक्री कर आरोपित कर रूपये 1338/- अपास्तनीय होने से इस अंश तक अपील निर्णय की पुष्टि की जाती है, लेकिन धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को बहाल किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी ने उक्त विवेचन अनुसार व्यवहारी की अपील स्वीकार कर आंशिक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलीय आदेश को करारोपण के अलावा अपास्त किया जाता है तथा उसी अंश तक कर निर्धारण अधिकारी का आदेश बहाल किया जाता है।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)


सदस्य
०६/०२/१४